न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 178/2018

अनवान :

1. बनवारीलाल पुत्र तुलाराम जाति मेघवंशी निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र तुलाराम जाति मेघवंशी निवासी मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. तुलाराम पुत्र मोमनराम मेघवंशी निवासी रामबास तहसील भादरा।
2. गीना पुत्री तुलाराम पत्नी चानणमल जाति मेघवाल निवासी हाल डूंगराना तहसील भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री तुलाराम पत्नी भुराराम जाति मेघवाल निवासी हाल डूंगराना तहसील भादरा।
4. तारो पुत्री तुलाराम पत्नी बलवंत जाति मेघवाल निवासी दुमकी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
5. गिरदावरी पुत्री तुलाराम पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी दुमकी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
6. कृष्णा पुत्री तुलाराम पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– असल प्रतिवादीगण

7. लक्ष्मणकुमार पुत्र तुलाराम मेघवंशी निवासी रामबास तहसील भादरा।
8. आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक कलाना।
9. एसबीआई (एसबीबीजे) शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधि 1955

उपस्थिति : वकील श्री राजेन्द्र जाखड़ : **वादी**

वकील श्री भानूप्रताप : **प्रतिवादी सं0 1 ता 7**

निर्णय **दिनांक :** 27·7·18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा मेहलिया के वर्तमान खाता सं0 27/29 के खसरा सं0 85 की 1.303 है0 खसरा सं0 106 की 16.301 है0 खसरा सं0 194 की 4.515 है0 खसरा सं0 207/2 की 4.642 है0 कुल 26.761 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी तुलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही रामबास के खाता सं0 28/30 के खसरा सं0 223 की 3.289 है0 खसरा सं0 309 की 0.164 है0 कुल 3.453 है0 प्रतिवादी तुलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार

रोही रामबास के ही खाता 27/29 के खसरा सं0 63 की 7.438 है0 खसरा सं0 64 की 5.136 है0 खसरा सं0 65 की 5.022 है0 खसरा सं0 66 की 5.591 है0 कुल 23.187 है0 बारानी खातेदारी जिसमें प्रतिवादी तुलाराम के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है जो पहले वादीगण के दादा मोमनराम की खातेदारी हुआ करती थी। मोमनराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी तुलाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली। वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने वादभूमि में अपना हक हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी लक्षमणकुमार के पक्ष में तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 7 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 8 ता 10 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादीगण में पीडब्ल्यु 1 बनवारीलाल, पीडब्ल्यु 2 के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम मेहलीया खाता सं0 27/29 सम्वत् 2072–75 की प्रदर्श 1, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम मेलिया सम्वत् 2029 से 38 की प्रदर्श 2, सत्यप्रतिलिपि जमाबन्दी ग्राम रामबास खाता सं0 27/29, 28/30 सम्वत् 2073–76 की प्रदर्श 3, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम रामबास सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5, शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम मेहलीया व रामबास के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण ने दावा की पुष्टि में जो फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम मेलिया सम्वत् 2029 से 38 की प्रदर्श 2, फोटो प्रति प्रमाणित जमाबन्दी भूप्रबन्ध विभाग ग्राम रामबास सम्वत् 2029 से 38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाई है उनमें वाद भूमि वादीगण के दादा मोमन वल्द गोकल के नाम दर्ज है जिससे वादभूमि दादालाई पैत्रक कृषि भूमि होना साबित है एवं वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 में तुलाराम के वारिसान में तीन पुत्र बनवारीलाल, धर्मपाल, लक्षमण कुमार व पांच पुत्रीयां गीना, सुमित्रा, तारो, गिरदावरी, कृष्णा होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिसान नहीं होना अंकित है। इस प्रकार वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेहलिया के वर्तमान खाता सं0 27/29 के खसरा सं0 85 की 1.303 है0 खसरा सं0 106 की 16.301 है0 खसरा सं0 194 की 4.515 है0 खसरा सं0 207/2 की 4.642 है0 कुल 26.761 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी तुलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही रामबास के खाता सं0 28/30 के खसरा सं0 223 की 3.289 है0 खसरा सं0 309 की 0.164 है0 कुल 3.453

है0 प्रतिवादी तुलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही रामबास के ही खाता 27/29 के खसरा सं0 63 की 7.438 है0 खसरा सं0 64 की 5.136 है0 खसरा सं0 65 की 5.022 है0 खसरा सं0 66 की 5.591 है0 कुल 23.187 है0 बारानी खातेदारी जिसमें प्रतिवादी तुलाराम के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 7 लक्षमण कुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 7 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 7 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.7.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 178/2018

अनवान :

1. बनवारीलाल पुत्र तुलाराम जाति मेघवंशी निवासी मेहलिया तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र तुलाराम जाति मेघवंशी निवासी मेहलिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. तुलाराम पुत्र मोमनराम मेघवंशी निवासी रामबास तहसील भादरा।
2. गीना पुत्री तुलाराम पत्नी चानणमल जाति मेघवाल निवासी हाल डूंगराना तहसील भादरा।
3. सुमित्रा पुत्री तुलाराम पत्नी भुराराम जाति मेघवाल निवासी हाल डूंगराना तहसील भादरा।
4. तारो पुत्री तुलाराम पत्नी बलवंत जाति मेघवाल निवासी दुमकी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
5. गिरदावरी पुत्री तुलाराम पत्नी हरीराम जाति मेघवाल निवासी दुमकी तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
6. कृष्णा पुत्री तुलाराम पत्नी जगदीश जाति मेघवाल निवासी सिद्धमुख तहसील राजगढ़ जिला चुरू।

– असल प्रतिवादीगण

7. लक्ष्मणकुमार पुत्र तुलाराम मेघवंशी निवासी रामबास तहसील भादरा।
8. आरएमजीबी शाखा कलाना जरिये शाखा प्रबन्धक कलाना।
9. एसबीआई (एसबीबीजे) शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबन्धक भादरा।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– तरतीबी प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री राजेन्द्र जाखड़ एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 7 श्री भानूप्रताप की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेहलिया के वर्तमान खाता सं0 27/29 के खसरा सं0 85 की 1.303 है0 खसरा सं0 106 की 16.301 है0 खसरा सं0 194 की 4.515 है0 खसरा सं0 207/2 की 4.642 है0 कुल 26.761 है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी तुलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही रामबास के खाता सं0 28/30 के खसरा सं0 223 की 3.289 है0 खसरा सं0 309 की 0.164 है0 कुल 3.453 है0 प्रतिवादी तुलाराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार रोही रामबास के ही खाता 27/29 के खसरा सं0 63 की 7.438 है0 खसरा सं0 64 की 5.136 है0 खसरा सं0 65 की 5.022 है0 खसरा सं0 66 की 5.591 है0 कुल 23.187 है0 बारानी खातेदारी जिसमें प्रतिवादी तुलाराम के नाम से 1/5 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 7 लक्ष्मण कुमार बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीगण सं0 1 ता 6 ने अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं0 7 के पक्ष में त्याग दी है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 7 के नाम बहिस्सा बराबर राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27.7.18...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़